श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–21.01.2023 (शनिवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 61वीं आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** :– बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	अनुपस्थित
3.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	अनुपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	उपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	उपस्थित
7.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य, सामान्य निकाय (विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
8.	श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित

Santosh 03/2/2023

9.	श्री राजेश लाला, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
10.	श्री चेतन कृष्ण नागेश, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित

02. कार्यसूची की मद संख्या–01 : विगत 60वीं बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

03. कार्यसूची की मद संख्या–02 : विगत दिनांक–13.12.2022 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 60वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के कृत्त अनुपालन प्रतिवेदन को प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों के अवगतार्थ उपस्थापित किया गया; तद्नुसार, कुछेक बिन्दुओं के संदर्भ में कतिपय निर्देशों के साथ समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।

04. कार्यसूची की मद संख्या–03 : बैठक में उपस्थित सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय के शिक्षक श्री अतुल रंजन एक्का के द्वारा प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह के विरूद्ध SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज किए गए वाद के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली में दर्ज शिकायत से संबंधित सूचना उपायुक्त लातेहार का कार्यालय पत्रांक–464/गो. दिनांक–03.12.2022 प्राप्त हुआ, जिसमें उपायुक्त लातेहार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संसूचित किया गया कि "पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक–7456/गो. दिनांक–26.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उक्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री संतोष कुमार सिहं के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है।"

उपरांकित पत्र के बाद दिनांक–01.01.2023 को केस के अनुसंधानकर्ता सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआडॉड़ द्वारा पत्रांक–01/अनु./महुआडॉड़ दिनांक–01.01.2023 को पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण को अंतिम प्रतिवेदन के रुप में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में प्रस्तुत किया गया था, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा आवेदन निर्गत किया गया कि "The

Santosh 03/2/23

matter after submission of the Final report by the investigating officer of this case, the criminal appeal has become infructuous in view of the fact that there is no apprehension of his arrest because of the final report has been submitted for want of evidence.

Learned defence counsel Mr. Rajesh Lala, appearing on behalf of the appellant fairly submitted that in view of the final report submitted by the I.O in this case, he seeks to withdrawn this criminal appeal.

Accordingly, this Cr. Appeal is dismissed as withdrawn."

उपरांकित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपायुक्त, लातेहार के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक-03.12.2022 का है, जबकि पुलिस अधीक्षक, लातेहार के आदेश पर ही दिनांक-01.01.2023 को केस से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं, अतएव सर्वसम्मति से दिनांक-12.01.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। एक ही विषय से संबंधित वाद माननीय न्यायालय एवं आयोग के समक्ष दर्ज है अस्तु, माननीय न्यायालय का अबतक जो भी आदेश प्राप्त है उसे अगर भविष्य में आयोग के द्वारा पृच्छा की जाती है तो सभी तथ्यों/साक्ष्यों को संलग्न करते हुए आयोग को संसूचित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

05. कार्यसूची की मद संख्या-04 : मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय पत्रांक-1420/14.11.2022 एवं पत्रांक-1421/14.11.2022 जो प्रशासी विभाग को समर्पित की गई है, के आलोक में विद्यालय मुख्य भवन, कक्षा-वर्गों एवं प्रशासनिक भवनों के Upgradation के संदर्भ में संशोधित प्राक्कलित राशि रू. 9,89,62,000.00 (नौ करोड़ नवासी लाख बासठ हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार, दिनांक-13.12.2022 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 60वीं बैठक की कार्यवाही कंडिका-16 को इस हद तक संशोधित की गई।

Santosh 03/2/2023

06. कार्यसूची की मद संख्या–05 : शैक्षणिक क्रियाकलापों के उन्नयन हेतु विद्यालय के वरीय सह–शिक्षक श्री अंशुमान चटर्जी को उप–प्राचार्य के पद पर मनोनयन संबंधी आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

07. कार्यसूची की मद संख्या–06 : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय पत्रांक–12/यो.1–28–2013–132/राँची, दिनांक–09.01.2023 के माध्यम से 79– गैर–योजनान्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) मद के अधीन उपबंधित रू. 3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र की राशि को वित्त विभाग के सुसंगत परिपत्रों के आलोक में मदवार अंतरिक विभाजन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

08. कार्यसूची की मद संख्या–07 : विद्यालय में कृषि संबंधी कार्यो में हुए प्रगति तथा छात्रों में कृषि विषयों के प्रति अभिरूचि तथा तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा विद्यालय में संविदा के पद पर कार्यारत कृषि प्रशिक्षिका के मानदेय में वृद्धि के विचार–विमर्श के संबंध में निर्णय लिया गया कि चूँकि श्रीमति ममता कुमारी एक ही मानदेय पर लगभग 08 वर्षो से कार्यरत हैं, अतएव कृषि प्रशिक्षक के मूल वेतन एवं वर्तमान महँगाई भत्ता के समतुल्य मानदेय राशि में कतिपय संशोधन के साथ परिमार्जित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह आदेश निर्गत तिथि से ही प्रभावी माना जाय।

09. कार्यसूची की मद संख्या–08 : सम्प्रति विद्यालय में संविदा पर नियुक्त 05 शिक्षकों के संविदा अवधि विस्तार के विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को निर्देश हुआ कि नियमित नियुक्ति होने तक इन सभी शिक्षकों का संविदा अवधि विस्तार किया जाय, ताकि शिक्षण कार्य बाधित न हो।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 03/2/2023

(श्री संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–21.01.2023 (शनिवार) को आहूत 61वीं आकस्मिक बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 21/01/2023
2.	कौशल किशोर झा, सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	
3.	श्री सच्चिदानन्द डी. तिग्गा, उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	सदस्य	
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	Kamini Kumar 21. 01. 2023
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	[illegible] २1.1.२३
6.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	Singh 21/01/23
7.	श्री आशीष आलोक, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य, सामान्य निकाय (विशेष आमंत्रित)	Ashish Alok 21.01.2023
8.	श्री अभिषेक मिश्रा, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	Abhishek Misra 21.1.23

09.	श्री राजेश लाला, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची।	(विशेष आमंत्रित)	21-01-2023
10.	श्री चेतन कृष्ण नागेश, अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची।	(विशेष आमंत्रित)	Chetan Krishna Nagesh 21/01/2023